(1)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत कार्यालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा में प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री एस0आर0साहू, अपर कलेक्टर दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा छ0ग0

आर्डर शीट

तारीख	अपीलीय अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आदेश पत्र अथवा कार्यवाही	संबंधित के हस्ताक्षर
1	2	3

1	अपील प्रकरण क्रमांक	38/2015
2	अपीलार्थी का नाम पता	श्री मुकेश कुमार श्रीवास, रेस्ट हाउस रोड दन्तेवाड़ा
3	विषय	सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रथम अपील
4	जनसूचना अधिकारी जिनके आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत है	जन सूचना अधिकारी कार्यालय जिला पंचायत दन्तेवाड़ा
5	अपील ग्रस्त आदेश का दिनांक	....
6	अपील प्रस्तुती का दिनांक	दिनांक 08–09–2015, प्रथम अपीलीय अधिकारी के न्यायालय में अपील आवेदन प्राप्ति का दिनांक 10–09–2015
7	अपील के निराकरण की समय सीमा	09–10–2015

10–09–2015

- श्री मुकेश कुमार श्रीवास, रेस्ट हाउस रोड दन्तेवाड़ा के द्वारा दिनांक 08–09–2015 को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत् प्रथम अपील आवेदन पत्र कार्यालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा में जमा किया गया। यह आवेदन पत्र मार्किंग पश्चात् प्रथम अपीलीय अधिकारी के न्यायालय में दिनांक 10–09–2015 को प्राप्त हुआ।
- अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन पत्र के साथ एक मात्र दस्तावेज, जो उनकी ओर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दन्तेवाड़ा को दिनांक 17–07–2015 को प्रस्तुत किया किया गया है, की छाया प्रति संलग्न की गई है, जिसका अवलोकन किया गया। इस आवेदन पत्र में उन्होंने लेख किया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत् जानकारी दिए जाने हेतु उनके द्वारा जो आवेदन पत्र कार्यालय जिला पंचायत में प्रस्तुत किया गया था। उसकी जानकारी उन्हें पत्र क्रमांक 503/जि0पं0/न0क0 118/ शि0क0/सू0का0अधि0/ 2015 दन्तेवाड़ा दिनांक 13–05–2015 द्वारा प्रदाय की गई किन्तु जानकारी में मात्र शिक्षकों की सूची दी गई है, उसमें उनके शालाओं के नाम नहीं बताये गये हैं। दिनांक 17–07–2015 को उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी आज पर्यन्त तक जानकारी उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण जानकारी दिलवाए जाने हेतु यह अपील प्रस्तुत किया गया है।
- अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील आवेदन पत्र के साथ अधिनियम की धारा 06(1) के तहत् जन सूचना अधिकारी कार्यालय जिला पंचायत पंचायत दंतेवाड़ा को प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रति, उनसे प्राप्त जवाब की प्रतिलिपि तथा प्रथम अपील शुल्क की राशि 50.00 रू0 जमा नहीं किया गया है।
- अपीलार्थी को जन सूचना अधिकारी कार्यालय जिला पंचायत दंतेवाड़ा द्वारा पत्र क्रमांक/503/दिनांक 13–05–2015 के माध्यम से जो जानकारी प्रदाय की गई थी, के संबंध में जानकारी अधूरी होने अथवा जन सूचना अधिकारी के विनिश्चय के संबंध में कोई आपत्ति थी तो उन्हें अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत् जन सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त होने के 30 दिवस के अंदर उन्हें प्रथम अपील आवेदन पत्र प्रस्तुत करना था। अपीलार्थी द्वारा अधिनियम में प्रावधानित प्रथम अपील हेतु निर्धारित समय सीमा के समाप्त होने के पश्चात् प्रथम अपील आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रथम अपील आवेदन पत्र में अपीलार्थी द्वारा विलंब से प्रथम अपील प्रस्तुत करने के संबंध में कोई ठोस कारण भी नहीं बताया गया है। जिस पर कि विचार किया जा सके।
- अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन पत्र ग्राह्य किए जाने योग्य नहीं होना पाता हूं। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अमान्य किया जाता है। प्रकरण में पृथक से आदेश पारित। आदेश की प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क भेजी जावे। बाद प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में जमा किया जावे।

अपर कलेक्टर एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दन्तेवाड़ा